कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

पत्र संख्या– 2462 /331 दिनांक, मिर्जापुर,अप्रैल 27, 2023.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव
पश्चिमी क्षेत्र उ0प्र0 कानपुर।

विषयः जनपद मीरजापुर के कैमूर वन्य जीव प्रभाग के हलिया रेंज के अन्तर्गत प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर द्वारा भटवारी–मतवार सम्पर्क मार्ग ,मतवरिया–मतवार सम्पर्क मार्ग, बढ़ौही परसिया वाया औरा सम्पर्क मार्ग, फुलियारी सम्पर्क मार्ग सिलहटा सम्पर्क मार्ग, मेंजा वॉध (ददरी) से नदना वाया मटिहरा– सगरा मार्ग व खरिहट खुर्द से केड़वर सम्पर्क मार्ग तक जिला–मीरजापुर (उत्तर प्रदेश) मे प्रस्तावित विभिन्न मार्गो के नवनिर्माण से प्रभावित आरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 3260/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/150065/2021 दिनांक 12.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0–2352/33–1 दिनांक 16.04.2023 द्वारा अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मीरजापुर लिखा गया। अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मीरजापुर अपने पत्रांक 1137/1 मार्ग दिनांक 21.04.2023 के माध्यम से संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकण उपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। जिसके आधार पर आख्या निम्नवत हैः–

क0 सं0	आपत्ति	उत्तर
1	परियोजनाओं की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश प्रस्ताव में संलग्न नही है।	आपत्ति के सम्बन्ध में परियोजनाओं की स्टीमेट प्रस्ताव में पूर्व से ही संलग्न है। उक्त प्रस्ताव मा0 मुख्यमंत्री द्वारा सभी ग्रामों के सम्पर्क मार्ग निर्माण योजना के घोषणा के अन्तर्गत प्रस्तावित है अतः इसमें अन्य कोई परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश की आवश्यकता नहीं है व ग्रामों के सम्पर्क मार्ग निर्माण मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत है। जिनकी समीक्षा मा0 सांसद राज्य सभा मीरजापुर कर रहे है। जिनका पत्र संलग्न है।
2	प्रस्ताव में पान होने वाले वृक्षो की सूची संलग्न है। किन्तु आनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं है।	आपत्ति सं0–2 के अनुसार संशोधित वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।
3	प्रस्ताव में मानक शर्तो के मान्य होने की पूर्ण 18 मानक शर्तो क वचनबद्धता संलग्न नहीं की गयी है।	आपत्ति सं0–3 के अनुसार प्रस्ताव में मानक शर्तो के मान्य होने की पूर्ण 18 मानक शर्तो क वचनबद्धता प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।
4	रोड चौड़ीकरण के प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव संलग्न नहीं है।	आपत्ति सं0–4 के अनुसार उक्त प्रस्ताव में सम्पर्क मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है। अतः इस प्रस्ताव मे रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	बाधक वृक्षो की दशा में प्रयोक्ता एजेंसी से Entire Tree Transplant (ETT) की शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव संलग्न नहीं है।	आपत्ति सं0–5 के अनुसार Entire Tree Transplant (ETT) की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव में संलग्न पेनड्राइव में प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल0 फाइल को अपलोड नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल0 फाइल को पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	आपत्ति सं0–6 के अनुसार संशोधित प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल0 फाइल को पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।

भवदीय

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,मीरजापुर।

संख्या– 2462 /331 समदिनांक।।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, मीरजापुर को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर

Raj K-3

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

विषयः प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा भटवारी–मतवार सम्पर्क मार्ग, मतवरिया–मतवार सम्पर्क मार्ग, बड़ौही से परसिया वाया औरा सम्पर्क मार्ग, फुलियारी सम्पर्क मार्ग, सिलहटा सम्पर्क मार्ग, मेजा बॉध (दादरी) से नदना वाया मटिहरा–सगरा सम्पर्क मार्ग व खरिहट खुर्द से केड़वर सम्पर्क मार्ग तक जिला–मीरजापुर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित विभिन्न मार्गों के नवनिर्माण से प्रभावित आरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भः कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांकः–3260/11–सी–FP/UP/Road/150065/2021, लखनऊ, दिनांकः 12/04/2023।

क्रम सं0	आपत्ति	उत्तर
1	परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	आपत्ति के सम्बंध में परियोजना का स्टीमेट प्रस्ताव में पूर्व से ही संलग्न है। उक्त प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी ग्रामों के सम्पर्क मार्ग निर्माण योजना के घोषणा के अन्तर्गत प्रस्तावित है अतः इसमें अन्य कोई परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश की आवश्यकता नहीं है, व ग्रामों के सम्पर्क मार्ग निर्माण मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत है। जिनकी समीक्षा मा0 सांसद राज्य सभा मीरजापुर कर रहे जिनका पत्र संलग्न है।
2	प्रस्ताव में पातन होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं है।	आपत्ति सं0 2, के अनुसार संशोधित वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।
3	प्रस्ताव में मानक शर्तों के मान्य होने की पूर्ण 18 मानक शर्तों की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।	आपत्ति सं0 3, के अनुसार मानक शर्तों के मान्य होने की पूर्ण 18 मानक शर्तों की वचनबद्धता प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।
4	रोड चौड़ीकरण के प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव संलग्न नहीं है।	आपत्ति सं0 4, के अनुसार उक्त प्रस्ताव में सम्पर्क मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है। अतः इस प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	बाधक वृक्षों की दशा में प्रयोक्ता एजेंसी से Entire Tree Transplant (ETT) की शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव संलग्न नहीं है।	आपत्ति सं0 5, के अनुसार Entire Tree Transplant (ETT) की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
6	प्रस्तााव में संलग्न पेनड्राइव में प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल0 फाइल को अपलोड नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल0 फाइल को पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	आपत्ति सं0 6, के अनुसार संशोधित प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल0 फाइल को पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
मीरजापुर

Scanned with OKEN Scanner

अरुण सिंह
संसद सदस्य
(राज्य सभा)

सत्यमेव जयते

ARUN SINGH
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

दिनांक : 27 अप्रैल, 2022

आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी,

सस्नेह नमस्कार।

जनपद मिर्जापुर में चुनाव प्रचार के दौरान मेरे संज्ञान में यह बात लाई गयी थी कि विकास खण्ड हलिया की प्रमुख रोड भटवारी से नौडिहा बेलाही मध्य प्रदेश सीमा तक वाया नदना मझिंगवा लम्बाई 25 कि.मी. वन विभाग के द्वारा इस रोड का निर्माण विगत 5 वर्षों से रोक दिया गया है, जिस वजह से उस तरफ से लोगों का आना जाना कठिन तो है ही बीमारी/प्रसव की व्यवस्था की दृष्टि से एम्बुलेंस जैसी सुविधा से भी लोग वंचित हैं, जिसके चलते लगभग 20 गांव के लोग विधानसभा चुनाव 2022 का बहिष्कार कर रहे थे।

आश्वासन के बाद लोगों ने मतदान किया तथा विधानसभा क्षेत्र से हमारे गठबंधन का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी हुआ।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त संपर्क मार्ग का निर्माण 20 गांव की समस्या को देखते हुए जनहित में प्राथमिकता के आधार पर कराने की कृपा करें।

धन्यवाद,

आपका,

(अरूण सिंह)

श्री योगी आदित्यनाथ जी,
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार
लोक भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
मीरजापुर

कार्यालय: 6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 दूरभाष: 011-23500000
Off.: 6-A, Deendayal Upadhyay Marg, New Delhi-110002 Ph.: 011-23500000
निवास: 6, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001 दूरभाष : 011-23310366
Res.: 6, Gurudwara Rakabganj Road, New Delhi-110001 Ph.: 011-23310366
ईमेल: arunsinghbjp@gmail.com www.facebook.com/arunsinghbjp twitter.com/arunsinghbjp

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव सं0–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/150065/2021 कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के हलिया रेंज अन्तर्गत भटवारी–मतवार सम्पर्क मार्ग, मतवरिया–मतवार सम्पर्क मार्ग बड़ौही से परसिया वाया औरा सम्पर्क मार्ग, फुलियारी सम्पर्क मार्ग, सिलहटा सम्पर्क मार्ग, मेजा बॉध (ददरी) से नदना वाया मटिहरा–सगरा सम्पर्क मार्ग व खरिहट खुर्द से केड़वर सम्पर्क मार्ग तक के निर्माण में पातन होने वाले वृक्षो का व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश

S.No.	Scientific name	Local Name	(0-30)cm	(31-60)cm	(61-90)cm	(91-120)cm	(121-150)cm	(>150)cm
1	Butia Monosperma	Palas	71	1	0	0	0	0
2	Others	Jigna	8	0	0	0	0	0
3	Others	Koriya	1	0	0	0	0	0
4	Terminalia bellerica	Bahera	2	0	0	0	0	0
5	Acacia Catechu	Khair	1	0	0	0	0	0
6	Cassia Fistula	Amaltas	1	0	0	0	0	0
7	Buchananian lanzan	Chironji	2	0	0	0	0	0
8	Lagerstroemia Parviflora	Sidha	2	0	0	0	0	0
9	Holoptelia integrifolia	Chilbil	51	3	0	0	0	0
10	Tamerindus indica	Imli	7	0	0	0	0	0
11	Dalburgia sisoo	Shisham	2	0	0	0	0	0
12	Azadirachta indaica	Neem	3	0	0	0	0	0
13	Delomix Regia	Gulmohar	1	0	0	0	0	0
Total			152	4	0	0	0	0
Sub Total (no. of Trees.)			156					

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव वन प्रभाग
मिर्जापुर

उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-1980/82 वन अनुभाग-3, दिनॉक-31-12-1984 द्वारा निर्धारित मानक शर्तें

1- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भॉति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2- प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।

3- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

4- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मॉगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

5- हस्तान्तरित विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।

6- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में कराये तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।

7- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8- बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति को एवं अन्य वन जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9- सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी।

11- चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के प्रस्तावों पर "एलाइनमेन्ट" तय होते समय स्थानीय वन विभाग का
परामर्श "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण"/लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा,
तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य
अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608/सी दिनॉक 10.02.82 में निहित
आदेशों का पालन भी "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण"/लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया
जायेगा, अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गी का मामूली फेर-बदल कर पक्का करना होगा, बशर्ते
ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक
है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0

Scanned with OKEN Scanner

12– वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13– वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन विभाग अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रकिया जो वन विभाग उचित समझें द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों को बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14– हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन कार्य निषिद्ध है। इसी प्रकार बीच के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15– वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा कर उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16– यदि नहर आदि निर्माण में भू–क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से करेगा।

17– उक्त लिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ठ प्रकरण में कोई अन्य शर्त दर्शायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

18– वन भूमि का वास्तविक स्थानान्तरण तभी किया जायेगा। जब उक्त शर्तो का पालन कर दिया जाये अथवा उसका उचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो।

मैं सुनील दत्त, **प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर** प्रमाणित करता हूँ कि **प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग** को उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्ते मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible] वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
मीरजापुर
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
मीरजापुर

Scanned with OKEN Scanner

वचन बद्धता प्रमाण-पत्र

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा भटवारी-मतवार सम्पर्क मार्ग, मतवरिया-मतवार सम्पर्क मार्ग, बड़ौही से परसिया वाया औरा सम्पर्क मार्ग, फुलियारी सम्पर्क मार्ग, सिलहटा सम्पर्क मार्ग, मेजा बाँध (ददरी) से नदना वाया मटिहरा-सगरा सम्पर्क मार्ग व खरिहट खुर्द से केडवर सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में गैर वानिकी प्रयोग हेतु रोड चौड़ीकरण के प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचन बद्धता दी जाती है तथा जो भी शर्ते भारत सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालय द्वारा लगायी जायेगी। उसका अनुपालन करने का वचन देता है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मीरजापुर।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

Entire Tree Transplant (ETT) हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग** द्वारा **कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर** के अन्तर्गत **भटवारी–मतवार** सम्पर्क मार्ग, **मतवरिया–मतवार** सम्पर्क मार्ग, **बड़ौडी से परसिया वाया औरा** सम्पर्क मार्ग, **फुलियारी** सम्पर्क मार्ग, **सिलहटा** सम्पर्क मार्ग, **मेजा बॉध (दादरी) से नदना वाया मटिहरा–सगरा** सम्पर्क मार्ग व **खरिहट खुर्द से केड़वर** सम्पर्क मार्ग तक **जिला**–मीरजापुर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित विभिन्न मार्गो के नवनिर्माण हेतु **प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग** Entire Tree Transplant (ETT) मान्य हेतु वचनबद्धता देता है।

प्रतिहस्ताक्षरित

Anil

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
मीरजापुर

(प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता)
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
मीरजापुर

Scanned with OKEN Scanner